रजिस्ट्री सं० डी- 221 REGISTERED No. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 1970/ आश्विन 4, 1892
No. 164] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 1970/ASVINA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi the 26th September, 1970

No. F.4(19)-W&M/70.—Subscriptions for a new 4½ per cent. Loan, 1977 and a further tranche of 5½ per cent. Loan, 2000 (issued already in terms of the Government of India, Ministry of Finance Notification No. F.4(3)-W&M/70, dated the 26th March 1970) will be received from the 15th of October 1970. Subscriptions may be in the form of cash or of securities of the 3 per cent. First Development Loan, 1970—75. Both the issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions in cash and conversion amount approximately to Rs. 125 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 17th of October 1970. Government reserve the right to retain subscriptions received up to ten per cent. in excess of the sum of Rs. 125 crores.

2. If the total subscriptions exceed the sum of Rs. 137.50 crores (Nominal), partial allotment will be made to the subscribers in cash. If partial allotment is made in respect of subscriptions received in cash, a proportionate refund will be made as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

4½ PER CENT. LOAN, 1977 ISSUED AT RS. 100.00 PER CENT. AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 15TH OCTOBER, 1977

3. **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 15th October, 1977.

4. **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100 for every Rs. 100 (Nominal) of the Loan applied for.

5. **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 4½ per cent. per annum from the 15th of October 1970. Interest will be payable half-yearly on the 15th of April and 15th of October and will, subject to the provisions of paragraphs 11 and 12 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5½ PER CENT. LOAN, 2000 ISSUED AT RS. 100.00 PER CENT. REDEEMABLE AT PAR ON THE 11TH APRIL, 2000

6. **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 11th April, 2000.

7. **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100 for every Rs. 100 (Nominal) of the Loan applied for.

8. **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 5½ per cent. per annum from the 15th of October 1970. Interest for the period 15th of October 1970 to 10th of April 1971 inclusive will be paid on 11th of April 1971 and thereafter payment of interest will be made half-yearly on the 11th of April and 11th of October. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 11 and 12 below, be liable to tax under the Indian Income-tax Act, 1961.

CONVERSION TERMS

9. The securities of the 3 per cent. First Development Loan, 1970—75 will be accepted for conversion at par. Interest at the rate of 3 per cent. per annum on the securities of 3 per cent. First Development Loan, 1970—75 tendered for conversion will be paid up to and inclusive of 14th October, 1970 at the time of issue of the new securities.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

10. **Place of payment of interest.**—Interest on the loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any treasury or sub-treasury elsewhere in India, except for the State of Jammu and Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

11. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loans, who are not liable to tax or who are liable to tax at a rate lower than the rate at which tax was deducted. A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate can obtain, on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

12. Under Section 80L of Income-tax Act, 1961, interest on Government securities along with income in the form of interest or dividends on other approved investments will be exempt from income tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum.

13. The securities will be issued in the form of:—

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

14. **Applications for the Loans.**—Applications for the Loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

15. Applications will be received at:—

(a) offices of the Reserve Bank of India at Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna;

(b) branches of subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government treasury work except at the branch of the State Bank of Hyderabad, Gunfoundry, Hyderabad; and

(c) branches of the State Bank of India at other places in India.

16. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires that interest shall be paid.

17. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or the securities which are to be converted. Cheques tendered at the offices of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the Bank concerned. The securities tendered for conversion must be transferred to Government :—

(i) in the case of Stock Certificates by signing the form of transfer deed on the reverse of the Certificate before a witness.

(ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below :—

"Pay to the President of India."

18. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the Loans tendered by them and bearing their stamp.

By Order of the President,

B. MAITHREYAN,

Joint Secretary to the Government of India.

FORM OF APPLICATION

I/We

[Full name(s) in Block letters]

..... herewith tender

*Cash Rs..... *Cheque for Rs.
Securities of 3 per cent. First Development Loan, 1970—75 of the nominal value of Rs....., and request that securities of 4½ per cent Loan, 1977/5½ per cent. Loan, 2000* of the nominal value of Rs.....
may be issued to me/us in the form of Promissory Note(s)@ / Stock Certificate interest to

be payable at.

Signature.....

Name in full.....

(Block letters)

.....

.....

Address.....

Dated the of October, 1970

NOTE:—(1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words "Pay to the President of India" over the signature of the applicant, if they are in the form of Promissory Notes, and the transfer deed on the back should be signed by him before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.

(2) Separate application should be made for each form of subscription and for each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the new loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(4) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application :—

(i) Certificate of Registration/Incorporation.

(ii) Memorandum and Articles of Association or a certified copy of the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/Company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

*Delete what is not required.

@Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denominations required.

वित्त मंत्रालय

अर्थ विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1970

संख्या एफ० 4(19) डब्ल्यू ऐण्ड एम / 70 :—4½ प्रतिशत ब्याज वाले नये ऋण, 1977 के लिए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की, 26 मार्च 1970 की अधिसूचना संख्या एफ० 4(3) डब्ल्यू ऐण्ड एम / 70 के अनुसार पहले जारी किये गये 5½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 2000 के अतिरिक्त अंश के लिए 15 अक्टूबर 1970 से अभिदान लिये जायेंगे। अभिदान नकदी के रूप में या 3 प्रतिशत ब्याज वाले प्रथम विकास ऋण, 1970–75 की प्रतिभूतियों के रूप में हो सकते हैं। ज्योंही यह जान पड़ेगा कि नकदी और रूपांतरण (कन्वर्शन) के रूप में अभिदानों की कुल रकम लगभग 125 करोड़ रुपया (अंकित मूल्य) हो चुकी है, त्योंही दोनों निर्गम, बिना किसी सूचना के, बन्द कर दिये जायेंगे और हर हालत में ये निर्गम 17 अक्टूबर 1970 को कारबार बन्द होने के समय अवश्य बन्द हो जायेंगे। सरकार को 125 करोड़ रुपये से ऊपर 10 प्रतिशत तक, प्राप्त अभिदान रख लेने का अधिकार होगा।

2. यदि अभिदानों की कुल रकम 137.50 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से बढ़ जाय, तो नकदी के रूप में अभिदान देने वालों में आंशिक बंटवारा किया जायेगा। यदि नकदी के रूप में प्राप्त अभिदानों के सम्बन्ध में आंशिक बंटवारा किया जायगा, तो बंटवारे के बाद, जितनी जल्दी हो सकेगा, बाकी रकम वापस कर दी जायगी। इस प्रकार वापस की गयी रकमों पर कोई ब्याज नहीं दिया जायगा।

100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 15 अक्टूबर 1977 को सममूल्य पर चुकाया जाने वाला 4½ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1977

3. **वापसी की तारीख** :—यह ऋण 15 अक्तूबर 1977 को सममूल्य पर चुका दिया जायगा।

4. **निर्गम मूल्य** :—निर्गम-मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिए सौ रुपया होगा।

5. **ब्याज** :—इस ऋण पर 15 अक्टूबर 1970 से 4½ प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज दिया जायगा। ब्याज छः छः महीने बाद, अर्थात् 15 अप्रैल को और 15 अक्टूबर को अदा किया जायगा और इस पर, नीचे के पैराग्राफ 11 और 12 की व्यवस्थाओं के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आयकर लगेगा।

100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 11 अप्रैल 2000 को सममूल्य पर चुकाया जाने वाला 5½ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण, 2000

6. **वापसी की तारीख** :—यह ऋण 11 अप्रैल 2000 को सममूल्य पर चुका दिया जायगा।

7. **निर्गम-मूल्य**:—निर्गम-मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिए सौ रुपया होगा।

8. **ब्याज** :—इस ऋण पर 15 अक्टूबर 1970 से 5½ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जायगा। 15 अक्टूबर 1970 से 10 अप्रैल 1971 तक की अवधि का, जिसमे ये दोनों तारीखें शामिल है, ब्याज 11 अप्रैल 1971 को अदा किया जायगा और इस के बाद छः छः महीने के बाद, अर्थात् 11 अप्रैल को और 11 अक्टूबर को ब्याज अदा किया जायगा। अदा किये गये ब्याज पर, नीचे के पैराग्राफ 11 और 12 की व्यवस्थाओं के अनुसार, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर लगेगा।

रूपांतरण की शर्तें

9. 3 प्रतिशत ब्याज वाले प्रथम विकास ऋण, 1970–75 की प्रतिभूतियां सममूल्य पर रूपांतरण के लिए स्वीकार की जायेगी। 3 प्रतिशत ब्याज वाले प्रथम विकास ऋण, 1970–75 की जो प्रतिभूतियां रूपान्तरण के लिए दी जायंगी उनपर नयी प्रतिभूतियां जारी करने के समय, 14 अक्टूबर, 1970 तक की अवधि तक, जिसमे यह तारीख भी शामिल होगी, 3 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज दिया जायगा।

अनुपूरक व्यवस्थाएं

10. **ब्याज की अदायगी का स्थान**.—इस ऋण का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के बंगलौर बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, भारत के अन्य स्थानों में किसी राजकोष या उप-राजकोष में तथा केन्द्रीय सरकार के, जम्मू और श्रीनगर मे स्थित वेतन और लेखा कार्यालयों म चुकाया जायगा।

11. ब्याज की अदायगी के समय वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार काटी गयी कर की रकम, ऋण देने वाले वे व्यक्ति, जिन पर कर न लगता हो, पूर्णतः और वे व्यक्ति, जिन पर उस दर से कम दर पर कर लगता हो जिसके अनुसार कर काटा गया हो, अंशतः वापस ले सकेंगे। ऋण देने वाला वह व्यक्ति, जिस पर कर न लगता हो या जिस पर निर्धारित दर से कम दर पर कर लगता हो, अपने जिले के आयकर-अधिकारी को आवेदन पत्र देकर उससे ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है जिसके अनुसार, उसे, कर काटे बिना, या उस कम दर से कर काटने के बाद, जो उस पर लागू होती हो ब्याज अदा किया जा सके।

12. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ठ के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज और अन्य अनुमोदित निवेशों से ब्याज या लाभांशों के रूप में प्राप्त आय की रकम, 3,000 रुपये प्रति वर्ष की सीमा तक, आयकर से मुक्त रहेगी।

13. ये प्रतिभूतियां

(i) स्टाक के रूप में, जिसके लिए आवेदन-पत्र देने वालों को स्टाक सर्टिफिकेट दिये जायेंगे, या

(ii) वचन-पत्रों (प्रामिसरी नोट) के रूप में जारी की जायंगी।

यदि आवेदक अपनी पसन्द नहीं बतायेंगे तो प्रतिभूतियां वचन-पत्रों के रूप में जारी की जायेंगी।

14. **ऋण के लिए आवेदन-पत्र**.—ऋण के लिए आवेदन-पत्र सौ रुपये या उसके गुणितों के लिए दिये जाने चाहियें।

15 ऋण के लिए आवेदन-पत्र निम्नलिखित स्थानो पर लिये जायेंगे —

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के, बंगलौर, बम्बई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना मे स्थित कार्यालय ;

(ख) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की गनफाउण्ड्री हैदराबाद की शाखा को छोड कर, स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक बैंकों की वे शाखाए जो राजकोष का काम करती हों; और

(ग) भारत मे अन्य स्थानों पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाए।

16 आवेदन-पत्र इस अधिसूचना से सलग्न प्रपत्र के रूप मे हो या किसी ऐसे अन्य रूप मे हो जिसमे मागी गई प्रतिभूतियो की रकम और किस्म, आवेदक का पूरा नाम और पता और उस कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया हो, जहां से वह ब्याज लेना चाहता हो।

17. आवेदन-पत्र देने के साथ-साथ नकदी, चेक या रूपान्तरित की जाने वाली प्रतिभूतियों के रूप मे आवश्यक अदायगी की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया या इसके सहायक बैंको के कार्यालयों मे दिये जाने वाले चैक सम्बद्ध बैंक के नाम होने चाहिए। रूपातरण के लिए दी जाने वाली प्रतिभूतियां सरकार के नाम इस प्रकार अन्तरित कर दी जानी चाहिए —

(i) स्टाक-सर्टिफिकेटो के सम्बन्ध मे, किसी गवाह के सामने, स्टाक-सर्टिफिकेट के पृष्ठभाग पर अन्तरण-विलेख के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर के ;

(ii) वचन-पत्रों के सम्बन्ध मे, नीचे लिखे अनुसार उन्हे पृष्ठाकित कर के .—

"भारत के राष्ट्रपति को दिया जाय"।

18. मान्यता-प्राप्त बैंकों और दलालों को, ऋण के लिए उनके द्वारा दिये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में, जिन पर उनकी मोहर हो, किये गये बटवारे पर 6 पैसे प्रति सौ रुपया (अंकित मूल्य) की दर से दलाली दी जायगी।

राष्ट्रपति के आदेश से,

बी० मैत्रेयन,
सयुक्त सचिव, भारत सरकार।

आवेदन-पत्र

मैं/हम———————————————————————

(पूरा/पूरे नाम)

———————————————— इस के साथ ————————————————

रुपये नकद†———————————————————रुपये का चैक† 3 प्रतिशत ब्याज वाले प्रथम विकास ऋण, 1970–75 की ———————————————— रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां † पेश करता हूं/करते हैं, और प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे नाम 4½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1977/† 5½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण, 2000 की ———————————————————————रुपये के

वचन-पत्र/वचनपत्रों @

अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां,———————— के रूप में जारी की जायं,

स्टाक-सर्टिफिकेट

और ब्याज ————————————————पर दिया जाय ।

हस्ताक्षर ————————————————

पूरा नाम ————————————————

————————————————

पता ————————————————

दिनांक, अक्टूबर, 1970 ————————————————

टिप्पणी :— (1) यदि रूपान्तरण के लिए दी गयी प्रतिभूतियां, वचन-पत्रों के रूप में हों तो उन पर आवेदक के हस्ताक्षर के ऊपर "भारत के राष्ट्रपति को दिया जाय" ये शब्द पृष्ठांकित किये जाने चाहिएं और यदि वे स्टाक-सर्टिफिकेटों के रूप में हों, तो स्टाक-सर्टिफिकेट के पृष्ठभाग पर अन्तरण-विलेख पर आवेदक द्वारा गवाह के सामने हस्ताक्षर किये जाने चाहिएं ।

(2) आवश्यक नये ऋणों के हर तरह के पत्र (स्टाक-सर्टिफिकेट या वचन-पत्र) और हर तरह के अभिदान के लिए अलग आवेदन-पत्र दिया जाना चाहिए ।

(3) यदि आवेदक ने अंगूठे का निशान लगाया हो, तो उस पर दो व्यक्तियों की गवाही होनी चाहिए । गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ, उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाने चाहिएं ।

(4) यदि आवेदन-पत्र किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संस्था के नाम से दिया जाय, तो निदेश सम्बन्धी आवेदन-पत्र के साथ, नीचे लिखे दस्तावेज (यदि वे सरकारी ऋण कार्यालय में पहले से पंजीकृत न हों तो) लगा दिये जाने चाहिएं :—

(i) पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)/ निगमन का प्रमाण -पत्र;

(ii) उस निकाय/कम्पनी की बहिर्नियमावली और अन्तर्नियमावली या उसके नियमों और विनियमों / उप-नियमों की प्रमाणित प्रति; और

(iii) निकाय/कम्पनी की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कारगार करने के लिए प्राधिकृत किये गये व्यक्ति के हक में जारी किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रति ।

†जो आवश्यक न हो उसे काट दीजिए।

@ बचन-पत्र, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये के मूल्यों के जारी किये जायेंगे। यहां पर उन खास मूल्यों का उल्लेख कीजिए, जिनकी आवश्यकता हो।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970